कार्यालय–भूमि अध्याप्ति निदेशालय, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

सूचना का अधिकार अधिनियम–2005 की धारा–4(1)(बी) के अन्तर्गत 16 श्रेणियों का मैनुअल।

1– संगठन की विशिष्टियाँ, कृत्य और कर्तव्य

भूमि अध्याप्ति निदेशालय की स्थापना उत्तर प्रदेश शासन के आदेश संख्या–7–4(9)/86–114–रा0–13, दिनांक 04 जुलाई, 1987 द्वारा राजस्व परिषद के अधीन की गई। इस शासनादेश द्वारा निदेशक, भूमि अध्याप्ति को भूमि अध्याप्ति सम्बन्धी मामलों में निर्णय लेने के लिए सक्षम बनाया गया है एवं रूटीन मामलों में सीधे शासन से पत्र व्यवहार करने हेतु अधिकृत किया गया है। नीति विषयक मामले राजस्व परिषद के माध्यम से प्रस्तुत किये जाने की व्यवस्था की गई है।

वर्तमान समय में भूमि अध्याप्ति निदेशालय द्वारा शासनादेश दिनांक 04 जुलाई,1987 तथा समय–समय पर इसमें किये गये संशोधनों के अनुसार भूमि अध्याप्ति सम्बन्धी कार्य किया जा रहा है। शासनादेश संख्या–824/1–13–2008–7–4(9)/86–114–रा0–13, दिनांक 11 जून, 2008 द्वारा उक्त शासनादेश में संशोधन करते हुए प्रदेश में उत्तर प्रदेश औद्योगिक विकास अधिनियम के अन्तर्गत गठित औद्योगिक विकास प्राधिकरणों के मुख्य कार्यपालक अधिकारी अथवा अन्य अधिकारी, जो अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी से निम्न स्तर के न हों, को निदेशक, भूमि अध्याप्ति में निहित समस्त भू–अध्याप्ति कार्यों के निर्वहन हेतु अधिकृत किया गया है।

भूमि अध्याप्ति अधिनियम, 1894 की धारा–4(1)/17 तथा 6(1) के अन्तर्गत विभिन्न भूमि अध्याप्ति इकाइयों से प्राप्त भूमि अध्याप्ति प्रस्तावों का भूमि अध्याप्ति मैनुअल, 1988 एवं समय–समय पर जारी शासनादेशों/परिषदादेशों के अनुसार परीक्षण कर एवं उनके उपयुक्त होने पर उन्हें अध्याप्ति निकायों के प्रशासकीय विभाग को विज्ञप्ति निर्गत करने हेतु प्रेषित किया जाता है। प्रदेश में भूमि अधिग्रहण से सम्बन्धित परियोजनाओं में प्रभावित परिवारों के पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश संख्या–1321/1–13–2004–20(29)/2004–रा0–13 दिनांक 10.8.2004, संख्या– 361/1–13–2006–20(29)/2004–रा0–13 दिनांक 28.2.2006 एवं यथासंशोधित शासनादेश संख्या– 1252/1–13–10–20(29)/2004 दिनांक 17.8.2010 तथा 1307/1–13–10–20(29)/2004 दिनांक 03.9.2010 एवं 632/एक–13–11–20(29)/2004 दिनांक 02 जून, 2011 के लाभ प्रभावित परिवारों को अनुमन्य है।

भूमि अध्याप्ति निदेशालय का कार्यालय उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद के अनुभाग–10 के रूप में स्थापित है। निदेशालय स्तर पर मुख्य रूप से प्रदेश की कुल 49 भूमि अध्याप्ति इकाइयों में कार्यरत कर्मचारियों की स्थापना का कार्य विभिन्न सेवा नियमावलियों एवं समय–समय पर जारी शासनादेशों के अनुसार किया जाता है।

इसके अतिरिक्त निदेशालय स्तर पर कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन आहरण–वितरण, स्थापना का कार्य सम्पादित किया जाता है। निदेशालय को विभिन्न मदों में प्राप्त बजट के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही की जाती है तथा आय–व्यय का लेखा रखा जाता है।

2 व 3 अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियाँ और कर्तव्य/विनिश्चय करने की प्रकिया में पालन की जाने वाली प्रकिया, जिसमें पर्यवेक्षण और उत्तरदायित्व के माध्यम सम्मिलित है:–

विभिन्न भूमि अध्याप्ति इकाइयों से प्राप्त भूमि अध्याप्ति प्रस्तावों का परीक्षण निदेशालय में तैनात भूमि अध्याप्ति अमीनों द्वारा किया जाता है तथा उनकी परीक्षण टिप्पणी पर विशेष कार्याधिकारियों द्वारा भूमि अध्याप्ति अधिनियम, मैनुअल एवं शासनादेशों के कम में प्रति–परीक्षण कर पत्रावलियाँ, संयुक्त सचिव (भू0अ0) को, प्रेषित की जाती हैं। संयुक्त सचिव द्वारा सम्बन्धित पत्रावलियाँ अपनी टिप्पणी सहित निदेशक (भू0अ0) को भेजी जाती हैं। निदेशक की स्वीकृति/अनुमोदन के उपरान्त प्रस्ताव शासन के प्रशासनिक विभाग को प्रेषित किये जाते हैं। पत्रावलियों में कमियाँ व त्रुटियाँ पाये जाने पर उनके निराकरण हेतु भू अर्जन प्रस्ताव सम्बन्धित जिलाधिकारी/भू–अर्जन अधिकारी को वापस किया जाता है। निदेशालय स्तर पर प्रस्तावों के परीक्षण हेतु तैनात भूमि अध्याप्ति अमीनों और विशेष कार्याधिकारियों को मण्डलवार कार्यों का आवंटन किया जाता है।

भूमि अध्याप्ति प्रस्तावों सम्बन्धी निदेशालय स्तर पर खोली गई पत्रावलियों का रख–रखाव सम्बन्धित अमीन द्वारा किया जाता है।

निदेशालय के अधिकारियों/कर्मचारियों, भूमि अध्याप्ति इकाइयों के कर्मचारियों से सम्बन्धित स्थापना का कार्य, नजारत सम्बन्धी कार्य, पत्राचार एवं प्रेषण सम्बन्धी कार्य, शिकायतों पर जाँच सम्बन्धी कार्य, आडिट आपत्तियों के निस्तारण का कार्य, महत्वपूर्ण सन्दर्भों, संसद एवं विधान मण्डल प्रश्नों के निस्तारण का कार्य, सामयिक विवरण पत्रों के संकलन का कार्य निदेशालय में तैनात सहायकों द्वारा कार्य वितरण आदेश के अनुसार सम्पादित किया जाता है तथा इन कार्यों से सम्बन्धित पत्रावलियाँ आवश्यकतानुसार अनुभाग अधिकारी के माध्यम से संयुक्त सचिव (भूमि अध्याप्ति) एवं निदेशक को प्रेषित की जाती हैं। अनुभाग में तैनात कर्मचारियों के कार्यों का पर्यवेक्षण अनुभाग अधिकारी द्वारा किया जाता है।

4—कृत्यों के निर्वहन के लिए स्वयं द्वारा स्थापित मापमानः—

निदेशक, भूमि अध्याप्ति द्वारा नीति विषयक निर्णय लेने के लिए प्रकरण उत्तर प्रदेश राजस्व परिषद को प्रेषित किया जाता है। अन्य रूटीन मामलों में निदेशालय स्तर से निर्णय किया जाता है। तात्कालिक एवं लोक महत्व के तथा शासन की प्राथमिकता वाले कार्यों पर विशेष ध्यान देकर समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित कराया जाता है तथा अधीनस्थ अधिकारियों/कर्मचारियों पर पर्याप्त नियंत्रण रखते हुए नियमानुसार निदेशालय को प्राप्त होने वाले विभिन्न प्रकरणों पर कार्यवाही/निस्तारण सुनिश्चित कराया जाता है।

5—अपने द्वारा या अपने नियंत्रणाधीन धारित या अपने कर्मचारियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वहन के लिए प्रयोग किये गये नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेखः—

1— भूमि अध्याप्ति अधिनियम, 1894
2— भूमि अध्याप्ति मैनुअल, 1988
3— भूमि अध्याप्ति से सम्बन्धित महत्वपूर्ण शासनादेशों का संकलन 1985 व 1995
4— राज्य सरकार द्वारा यथा अंगीकृत राष्ट्रीय पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन नीति, 2003 एवं समय—समय पर निर्गत शासनादेश/परिषदादेश
5— भूमि अध्याप्ति के सम्बन्ध में समय—समय पर जारी शासनादेश तथा परिषदादेश
6— उत्तर प्रदेश भूमि अर्जन (राजस्व विभाग) अमीन सेवा नियमावली, 1993
7— उत्तर प्रदेश भूमि अर्जन (राजस्व विभाग) लिपिकवर्गीय सेवा नियमावली, 1993
8— उत्तर प्रदेश भूमि अर्जन (राजस्व विभाग) ड्राईवर सेवा नियमावली, 1992
9— उत्तर प्रदेश राजस्व विभाग (भूमि अर्जन) समूह "घ" सेवा नियमावली, 1992

6— ऐसे दस्तावेजों के, जो उसके द्वारा धारित या उसके नियत्रणाधीन हैं, प्रवर्गों का विवरणः—

1— भूमि अध्याप्ति प्रस्ताव सम्बन्धी पत्रावलियाँ
2— मासिक विवरण पत्रों सम्बन्धी पत्रावली
3— भूमि अध्याप्ति इकाइयों में कार्यरत लिपिकों, अमीनों, अहलमदों, लेखालिपिकों, प्रधान लिपिकों के स्थानान्तरण से सम्बन्धित पत्रावली
4— प्राप्त शिकायतों पर जाँच सम्बन्धी पत्रावलियाँ
5— बजट, आय व्यय सम्बन्धी पत्रावली
6— निदेशालय स्तर पर तैनात अधिकारियों/कर्मचारियों से सम्बन्धित वेतन पंजिका तथा व्यक्तिगत पत्रावलियाँ, जी0पी0एफ0 व सेवा पुस्तिकाएँ
7— पत्र व्यवहार पंजिका, डाक बही
8— पत्रावली खोलने की पंजिका
9— रिट याचिकाओं से सम्बन्धित पत्रावलियाँ
10— सूचना का अधिकार अधिनियम से सम्बन्धित पत्रावली
11— विभिन्न सहायकों द्वारा अन्य कार्यों के लिए खोली गई पत्रावलियाँ
12— निक्षेपित पत्रालियों के संचय से सम्बन्धित पत्रावली
13— भूमि अर्जन की नीति विषयक पत्रावली
14— महत्वपूर्ण परिषदादेशों एवं शासनादेशों की गार्ड फाइल

7— किसी व्यवस्था की विशिष्टियाँ, जो उसकी नीति की संरचना या उसके कार्यान्वयन के सम्बन्ध जनता के सदस्यों से परामर्श के लिए या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिए विद्यमान हैः—

भूमि अध्याप्ति निदेशालय स्तर पर ऐसे किसी कार्य को करने की कोई व्यवस्था नहीं जिसमें लोक सदस्यों से परामर्श या उनके अभ्यावेदनों की आवश्यकता पड़ती हो।

8— बोर्डों, परिषदों, समितियों और अन्य निकायों के विवरण जिनमें दो अथवा दो से अधिक व्यक्ति और जिनकी स्थापना उसके भाग के रूप में अथवा उसकी सलाह के प्रयोजन के लिए की गई और यह विवरण कि क्या इन बोर्डों, परिषदों, समितियों तथा अन्य निकायों की बैठक लोगों के लि खुली है अथवा ऐसी बैठक के कार्यवृत्त लोगों के लिए सुलभ हैंः—

भूमि अध्याप्ति निदेशालय, राजस्व परिषद, उत्तर प्रदेश के अधीन कार्य करता है। निदेशाल स्तर पर तथा इसके अधीनस्थ कोई बोर्ड, परिषद/समिति या निकाय गठित नहीं है।

9— अधिकारियों एवं कर्मचारियों की निर्देशिका तथा 10—प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप मासिक पारिश्रमिक जिसके अन्तर्गत प्रतिकर प्रणाली भी है, जो उसके विनियमों में यथा उपबंधि होः—

भूमि अध्याप्ति निदेशालय में मार्च, 2011 में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों एवं उनकी कुल परिलब्धियों का विवरण निम्नवत् है :—

कम सं0	नामः—अधिकारी/कर्मचारी	पदनाम	कुल परिलब्धियां
1	2	3	4
1	श्री रमाकान्त पाण्डेय	संयुक्त सचिव (भू0अ0)	76221.00
2	श्री मो0 नसरुल्लाह	विशेष कार्याधिकारी	44721.00
3	श्री अनिल कुमार अग्निहोत्री	तहसीलदार/विशेष कार्याधिकारी	41170.00
4	श्री धीरेन्द्र प्रताप सिंह	विशेष कार्याधिकारी	38278.00
5	श्री अजय कुमार सिंह	विशेष कार्याधिकारी	39745.00
6	श्री विजय कुमार	विशेष कार्याधिकारी	34050.00
7	श्री भभूती प्रसाद	अनुभाग अधिकारी	36210.00
8	श्री अजय कुमार श्रीवास्तव	प्रवर वर्ग सहायक	28733.00
9	श्री अरविन्द चन्द्र राय	प्रवर वर्ग सहायक	28733.00
10	श्री अभिषेक कुमार सिंह	प्रवर वर्ग सहायक	31693.00
11	श्री अशोक कुमार चतुर्थ	प्रवर वर्ग सहायक	31493.00
12	श्री अत्रिभूषण चकवर्ती	प्रवर वर्ग सहायक	31493.00
13	श्री वीरेन्द्र कुमार दीक्षित	अवर वर्ग सहायक	30863.00
14	श्री विवेक मित्तल	अवर वर्ग सहायक	32022.00
15	श्री राकेश कुमार मिश्रा	आशुलिपिक	28818.00
16	श्रीमती चन्द्रिका दीक्षित	आशुलिपिक	30883.00
17	श्री राजकमल सिन्हा	आशुलिपिक	29790.00
18	श्री मो0 नसरुल्लाह	अहलमद	27126.00
19	श्री सुरेन्द्र कुमार सक्सेना	अहलमद	26734.00
20	श्री जगदीश राम	अहलमद	22602.00
21	श्री रामचन्द्र श्रीवास्तव	अहलमद	20154.00
22	श्री महेश चन्द्र श्रीवास्तव	अहलमद	20488.00
23	श्री राकेश कुमार सिंह	लिपिक	16756.00
24	श्री गिरीश चन्द्र श्रीवास्तव	लिपिक	16756.00
25	श्री कृष्ण चन्द्र रस्तोगी	अमीन	28275.00
26	श्री चन्द्र प्रकाश सिंह	अमीन	23863.00
27	श्री पूरन चन्द्र जोशी	अमीन	17485.00

28	श्री उपेन्द्र	वाहन चालक	21537.00
29	श्री महेश प्रसाद	वाहन चालक	20594.00
30	श्री रामसूरत तिवारी	वाहन चालक	19985.00
31	श्री मंसूर अली	वाहन चालक	17018.00
32	श्री हरिश्चन्द्र यादव	वाहन चालक	16335.00
33	श्री रामपाल	चेनमैन	16779.00
34	श्री कन्हई लाल	चेनमैन	17001.00
35	श्री कैलाश चन्द्र जोशी	चेनमैन	14927.00
36	श्री बलवान सिंह	चेनमैन	13740.00
37	श्री मायाराम	चपरासी	15014.00
38	श्री देवराज	चपरासी	15224.00
39	श्री पूरनमासी	चपरासी	16214.00
40	श्री सूचित सिंह	चपरासी	15333.00
41	श्री श्रीचरन यादव	चपरासी	16214.00

11— सभी योजनाओं, प्रस्तावित व्ययों और किये गये संवितरणों पर रिपोर्टों की विशिष्टियाँ उपदर्शित करते हुए अपने प्रत्येक अभिकरण को आवंटित बजटः—

इस निदेशालय के अधीन कोई अभिकरण (एजेन्सी) कार्यरत नहीं है। इसके अन्तर्गत कोई योजना भी संचालित नहीं है।

12— सहायिकी (सब्सिडी) कार्यक्रमों के निष्पादन की रीति जिसमें आवंटित राशि और ऐसे कार्यक्रमों के लाभार्थियों के ब्यौरे सम्मिलित हैं:—

भूमि अध्याप्ति निदेशालय स्तर पर किसी सहायिकी कार्यक्रम का संचालन/निष्पादन नहीं किया जाता है।

13— अपने द्वारा अनुदत्त रियायतों, अनुज्ञा पत्रों या प्राधिकारों के प्राप्तिकर्ताओं की विशिष्टियाँ:—

भूमि अध्याप्ति निदेशालय स्तर से किसी भी प्रकार की रियायत, अनुज्ञा पत्र या प्राधिकार निर्गत नहीं किया जाता है।

14— किसी इलेक्ट्रानिक रूप में सूचना के सम्बन्ध में ब्यौरे जो उसको उपलब्ध हों या उसके द्वारा धारित हों:—

भूमि अध्याप्ति निदेशालय स्तर पर कोई भी सूचना इलेक्ट्रानिक रूप में उपलब्ध या धारित नहीं है, जिसका ब्यौरा दिया जा सके।

15— सूचना अभिप्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं की विशिष्टियाँ जिनमें किसी पुस्तकालय या वाचन कक्ष के यदि लोक उपयोग के लिए अनुरक्षित हैं तो, कार्यकरण घण्टे सम्मिलित हैं:—

भूमि अध्याप्ति निदेशालय स्तर पर धारित विभिन्न सूचनाओं को सामान्य नागरिकों तथा इच्छुक व्यक्तियों को उपलब्ध कराने हेतु सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत समुचित व्यवस्था की गई है। निदेशालय स्तर पर जन सूचना अधिकारी तथा विभागीय अपीलीय अधिकारी की नियुक्ति की गई है ।

16— लोक सूचना अधिकारियों के नाम, पदनाम और अन्य विशिष्टियाँ:—

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत वर्तमान में भूमि अध्याप्ति निदेशालय के जन सूचना अधिकारी, श्री धीरेन्द्र प्रताप सिंह, विशेष कार्याधिकारी (भूमि अध्याप्ति) हैं। अपीलीय अधिकारी श्री योगेन्द्र यादव, विशेष कार्याधिकारी, राजस्व परिषद हैं।